दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 08.08.2023
उद्घोषित : 04.09.2023

<u>आप.वि.वा. 528/2023 एवं आप.वि.आ. 2088/2023</u>

पी .... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कुणाल कालरा, श्री अंकित भूटानी एवं श्री दमन यादव, अधिवक्तागण

बनाम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य व अन्य ....प्रत्यर्थीगण

द्वारा श्री नरेश कुमार चाहर, राज्य के लिए अति.लो.अभि. सह निरीक्षक मनमीत सिंह, थाना ख्याला, निरीक्षक अशोक कुमार एवं उप.नि. हर्ष कुमार, थाना नबी करीम

कोरमः
माननीय न्यायाधीश सुश्री स्वर्ण कांता शर्मा

<u>निर्णय</u>

<u>निर्णय हेतु सूचकांक</u>

वास्तविक पृष्ठभूमि **2**
दोनों पक्षकारों द्वारा प्रस्तुतियाँ **4**
विश्लेषण एवं निष्कर्ष **5**
i. दं.प्र.सं. की धारा 173(2) का आदेश **6**
ii. याचिकाकर्ता की शिकायत **8**
iii. दं.प्र.सं. की धारा 173(2)(ii) के आदेश के अनुसार निर्देश **10**

<u>स्वर्ण कांता शर्मा, न्या.</u>

1. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ('दं.प्र.सं.) की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता थाना नबी करीम, *दिल्ली* में भारतीय दंड संहिता, 1860 ('भा.दं.सं.') की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत प्राथमिकी सं. 0382/2019 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी) (आरसी), केंद्रीय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली *('विचारण न्यायालय')* द्वारा दिनांक 30.11.2022 को पारित आदेश को अभिखंडित / अपास्त करने की मांग करता है।

<u>वास्तविक पृष्ठभूमि</u>

2. संक्षेप में कहा गया है कि वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि वर्तमान प्राथमिकी याचिकाकर्ता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर दिनांक 13.11.2019 को दर्ज की गई थी जिसमें उसने आरोप लगाया था कि अभियुक्त ऋषभ जैन ने शादी के झूठे बहाने से विभिन्न स्थानों पर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए थे। याचिकाकर्ता के बयान के अनुसार, अभियुक्त ने मार्च 2015 में उससे दोस्ती के लिए संपर्क किया था, जिसके पश्चात वे वे एक-दूसरे से मिलते रहते थे और अभियुक्त ने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया था। इसके पश्चात अभियुक्त ने याचिकाकर्ता की माँ से उससे विवाह करने के लिए दहेज के रूप में 25 लाख रुपये, जो वह अपनी दुकान बेचने के बाद देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन बाद में दिल्ली नगर निगम ने दुकान को ध्वस्त कर दिया। इसके पश्चात अभियुक्त याचिकाकर्ता से कई बार मिला और शादी के झूठे बहाने से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, लेकिन याचिकाकर्ता को बताए बिना किसी अन्य लड़की से शादी कर ली। इसके पश्चात, जब याचिकाकर्ता ने अभियुक्त का सामना किया, तो अभियुक्त के चाचा ने उसे धमकी दी। इन आरोपों पर वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस अन्वेषण के दौरान, याचिकाकर्ता की चिकित्सीय जांच की गई। अभियुक्त को दिनाँक 13.11.2019 पर गिरफ्तार किया गया था। उसके पश्चात, अभियुक्त को विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दिनाँक 30.11.2019

के आदेश के *अनुसार* जमानत पर रिहा कर दिया गया था। वर्तमान मामले में आरोप पत्र दिनाँक 15.01.2020 पर अन्वेषण के पश्चात दायर किया गया था, तथा विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांकित 04.02.2020 के तहत भा.दं.सं. की धारा 376(2)(ढ)/420 के तहत अभियुक्त/प्रत्यर्थी संख्या 2 ऋषभ जैन और भा.दं.सं की धारा 506 के तहत अभियुक्त पुरुषोत्तम जैन के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

3. इसके पश्चात, याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता ने मामले में आगे के अन्वेषण के लिए भा.दं.सं की धारा 173(8) के तहत दिनाँक 26.02.2020 को एक आवेदन दायर किया था, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनाँक 30.11.2022 के *आदेश के* माध्यम से खारिज कर दिया गया था। आदेश के समापन भाग को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> ".....इसलिए, पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए और विनूभाई हरिभाई मालवीय बनाम गुजरात राज्य (पूर्वोक्त) मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में, इस न्यायालय की राय है कि वर्तमान आवेदन भा.दं.सं की धारा 173(8) के तहत अभियोक्त्री द्वारा आगे की अन्वेषण के लिए दायर किया गया आवेदन पोषणीय नहीं है, क्योंकि इस मामले में अभियुक्त के खिलाफ आरोप विरचित करने के साथ विचारण पूर्व ही शुरू हो चुका है और उपरोक्त आवेदन तदनुसार खारिज किया जाता है।"

<u>दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन</u>

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान मामले में

आगे की अन्वेषण की आज्ञापकता है क्योंकि पुलिस ने शिकायतकर्ता द्वारा उल्लिखित अन्वेषण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को नजरअंदाज कर दिया है, जिसमें उन होटलों का विवरण प्राप्त करना शामिल है जहां शिकायतकर्ता और अभियुक्त गए थे। यह भी कहा गया है कि अन्वेषण के आरोप पत्र/अंतिम आख्या को याचिकाकर्ता को कभी नहीं बताया गया और उसके अभाव में आरोप विरचित किए गए।

5. *इसके विपरीत,* राज्य हेतु विद्वान अति.लो.अभि. का तर्क है कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई नया तथ्य नहीं उठाया गया है, और अन्वेषण अधिकारी ने उन सभी मुद्दों पर पर्याप्त अन्वेषण की है जिनका शिकायतकर्ता ने अपने बयान में और अन्वेषण के दौरान उल्लेख किया था।

6. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संबोधित दलीलें सुनी हैं और राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि., और अभिलेखों पर सामग्री का अवलोकन किया है।

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

7. विद्वान् विचारण न्यायालय ने इस आधार पर आगे के अन्वेषण का आदेश देने से इनकार कर दिया है कि विधि के अनुसार, न्यायालय आरोप

विरचित करने और विचारण शुरू करने के पश्चात आगे की अन्वेषण का आदेश देने के लिए अधिकृत नहीं था।

8. अभिलेखों के अनुसार, इस मामले में दिनांक 15.01.2020 के आरोप पत्र पर दायर किया गया था। आरोप-पत्र के परिशीलन से प्रकट होता है कि अन्वेषण अधिकारी ने उल्लेख किया है कि अतिरिक्त साक्ष्य, यदि कोई हो, तो अनुपूरक आरोप-पत्र द्वारा दर्ज किया जाएगा।

9. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता के अनुसार, यह जानकारी कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण पूर्ण कर लिया गया है एवं आरोप पत्र विद्वान् विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था, वह शिकायतकर्ता को कभी नहीं दी गई थी। इस प्रकार, यह याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उसे धारा 173(2)(ii) के आदेश के अनुसार आरोप पत्र दायर करने के बारे में इत्तिला नहीं किया गया था। भा.दं.सं. और अन्वेषण अधिकारी की ओर से एक चूक थी क्योंकि वह उसे यह बताने के लिए कर्तव्यबद्ध था।

i. दं.प्र.सं. की धारा 173(2) का आदेश।

10. अन्वेषण की समाप्ति पर मजिस्ट्रेट और शिकायतकर्ता को जानकारी संसूचित करने के लिए प्रक्रियात्मक आज्ञापकता भा.दं.सं. की धारा 173 (2) में प्रदान की गई है, जो निम्नानुसार हैः

"धारा 173 अन्वेषण पूर्ण होने पर पुलिस अधिकारी की आख्या

***

(2) (i) जैसे ही यह पूरा हो जाता है, थाना के भारसाधक अधिकारी पुलिस आख्या पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट के पास राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में एक रिपोर्ट भेजेगा, जिसमें उल्लिखित होगा -

(a) पक्षकारों के नाम;

(b) जानकारी की प्रकृति;

(c) उन व्यक्तियों के नाम जो मामले की परिस्थितियों से परिचित प्रतीत होते हैं;

(d) क्या कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है और, यदि ऐसा है, तो किसके द्वारा;

(e) क्या अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है;

(f) चाहे उसे उसके मुचलके पर रिहा किया गया हो और, यदि ऐसा है, तो प्रतिभू के साथ या उसके बिना;

(g) क्या उसे धारा 170 के तहत हिरासत में भेज दिया गया है।

((ख) **अधिकारी अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, इत्तिला करेगा, जिसे अपराध करने से संबंधित जानकारी पहली बार दी गई थी।"**

(जोर दिया गया)

11. यह न्यायालय नोट करता है कि धारा 173(2)(ii) थाना प्रभारी अधिकारी को आदेश देती है कि अन्वेषण पूर्ण होने पर, वहः

i. पुलिस रिपोर्ट पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजें, और;

ii. उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में पहले इत्तिला देने वाले को

बताएं।

12. इस प्रकार, धारा 173(2)(ii) थाना प्रभारी अधिकारी पर यह कर्तव्य डालती है कि वह शिकायतकर्ता को उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में इत्तिला करे अर्थात संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल करे।

ii. याचिकाकर्ता की शिकायत

13. अन्वेषण अधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता को आरोप-पत्र दायर करने के बारे में विधिवत इत्तिला दी गयी थी, जबकि याचिकाकर्ता इस बात से इनकार करती है कि उसे इत्तिला किया गया था और इसलिए कहती है कि चूंकि उसे आरोप-पत्र दायर करने के बारे में इत्तिला नहीं किया गया था, इसलिए उसे आरोप विरचित होने के बाद ही केंद्रीय महिला आयोग के माध्यम से आरोप-पत्र दायर करने के बारे में पता चला। यह उनका मामला है कि याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए अतिरिक्त साक्ष्य जो अन्वेषण अधिकारी द्वारा एकत्र किए जाने थे उन्हें आरोप पत्र में शामिल नहीं किया गया था।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस न्यायालय के भा.दं.सं. की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कानूनी रूप से कोई बाधा नहीं है, और शिकायतकर्ता के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, यह न्यायालय भा.दं.सं. की धारा 173(8) के तहत पूरक आरोप पत्र दायर करके अतिरिक्त साक्ष्य को अभिलेख पर रखने की अनुमति दे सकता है। यह भी कहा गया है कि आक्षेपित आदेश के गुणागुण में जाए बिना, यह न्यायालय उक्त उद्देश्य के लिए अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग कर सकता है, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसे विभिन्न होटलों ले जाया गया था। जहां उसका यौन उत्पीड़न किया गया था और उस सीमित सीमा तक, यह न्यायालय अन्वेषण अधिकारी को इस संबंध में साक्ष्य एकत्र करने और विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष अनुपूरक आरोप पत्र दायर करने की अनुमति देता है।

15. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता के अनुसार, अंतिम आख्या/आरोप पत्र दायर करने के संबंध में उसे कोई इत्तिला नहीं दी गयी थी, और राज्य द्वारा यह दिखाने के लिए कुछ भी अभिलेख पर नहीं रखा गया है कि उसे भी इत्तिला किया गया था।

16. इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देता है कि

एक ओर याचिकाकर्ता/शिकायतकर्ता को आरोप-पत्र दायर करने के बारे में इत्तिला नहीं दी गई थी, लेकिन साथ ही, अन्वेषण अधिकारी ने उल्लेख किया था कि किसी भी अतिरिक्त साक्ष्य के अभिलेख पर आने की स्थिति में, इसे पूरक आरोप-पत्र द्वारा दायर किया जा सकता है।

17. इस प्रकार, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अन्वेषण अधिकारी ने पहले ही आरोप पत्र में उल्लेख किया था कि अतिरिक्त तथ्यों को अभिलेख में रखे जाने की स्थिति में वह एक अनुपूरक आरोप पत्र दायर करेगा, इस परिस्थिति के साथ पढ़ें कि अन्वेषण अधिकारी ने शिकायतकर्ता को आरोप पत्र दायर करने के बारे में इत्तिला नहीं किया, यह न्यायालय मामले की सच्चाई *तक पहुंचने के लिए निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, याचिकाकर्ता के अनुरोध को केवल* चार नई घटनाओं की सीमा तक मामले के आगे के अन्वेषण करने की अनुमति देना उचित समझता है जो शिकायतकर्ता अभिलेख पर लाना चाहता है।

iii. दं.प्र.सं. की धारा 173(2)(ii) के आदेश के अनुसार दिशा निर्देश

18. अन्वेषण करने और शिकायतकर्ता / इत्तिला देने वाले को अंतिम आख्या दायर करने के संबंध में इत्तिला भा.दं.सं. की धारा 173(2)(ii) प्राकृतिक न्याय के मौलिक सिद्धांतों के साथ संरेखित होती है। यह आपराधिक

न्याय प्रणाली के भीतर खुले सम्प्रेषण एवं जवाबदेही की संस्कृति का पोषण करता है।

19. यह देखा गया है कि धारा 173(2)(ii) में, विधायिका ने अपने द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में इत्तिला करने के लिए थाना प्रभारी अधिकारी के कर्तव्य के संबंध में ***'होगा'*** शब्द का उपयोग किया है, जो स्पष्ट रूप से विधायिका के इरादे को बताता है कि अन्वेषण अभिकरण की ओर से शिकायतकर्ता को अन्वेषण पूर्ण होने के बारे में इत्तिला करना अत्यंत आवश्यक है।

20. दूसरी ओर, उसी प्रावधान में यह भी उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार इत्तिला किया जाए जिस प्रकार की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित **किया गया हो**।

21. दलीलों के दौरान, इस न्यायालय को अन्वेषण अधिकारी के साथ-साथ राज्य के लिए विद्वान अति.लो.अभि. द्वारा इत्तिला किया गया था कि राज्य सरकार **ने किसी भी प्रक्रिया/रीति/रूप को अधिसूचित नहीं किया था जिसमें इस तरह की इत्तिला की जानी है।**

22. विधियों की व्याख्या के सामान्य नियमों के अनुसार, "हो सकता है" शब्द के उपयोग का सामान्य रूप से अर्थ है कि विधायिका का यह इरादा है कि प्रावधान को निर्देशिका के रूप में समझा जाए, और शब्द

"होगा" सुझाव देगा कि प्रावधान को आज्ञापक या बाध्यकर रूप में लिया जाए। हालाँकि, जैसा कि माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा निर्णयों की श्रृंखला में में अभिनिर्धारित किया गया है, क्या कोई विधि/प्रावधान आज्ञापक है या निर्देशिका अंततः अधिनियम के दायरे और उद्देश्य और विधायिका के समेकन पर निर्भर करेगी।

23. ***एच. वी. कामत बनाम अहमद इशाक*** *1954 एससीसी ऑनलाइन* एससी 8 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक आज्ञापक प्रावधान का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। जबकि निर्देशिका प्रावधान का सारवान अनुपालन पर्याप्त है। इस संबंध में प्रासंगिक टिप्पणियां इस प्रकार हैंः

> "...एक प्रावधान जो आज्ञापक है और एक जो निर्देशिका है, के बीच अंतर का व्यावहारिक विभेद यह है कि पूर्व वाले का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, लेकिन बाद वाले के मामले में यह पर्याप्त है कि **सारवान अनुपालन** हद तक पालन किया जाए।
>
> (जोर दिया गया)

24. "आज्ञापक" और "निर्देशिका" नियम के बीच का अंतर माननीय शीर्ष न्यायालय द्वारा **शरीफ-उद-दीन** बनाम **अब्दुल गनी लोन** (1980) 1 ***एससीसी 403 में*** *निम्नलिखित टिप्पणियों के माध्यम* से भी स्पष्ट

किया गया थाः

"...एक आज्ञापक नियम और एक निर्देशिका नियम के बीच का अंतर यह है कि जबकि पहले वाले का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, बाद वाले के मामले में, उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अनुपालन पर्याप्त हो सकता है जिसके बारे में नियम अधिनियमित किया गया है। कुछ व्यापक प्रस्ताव जो निर्माण के नियमों के संबंध में न्यायालयों के कई निर्णयों से निकाले जा सकते हैं, जिनका यह निर्धारित करने में पालन किया जाना चाहिए कि क्या विधि का कोई प्रावधान निर्देशिका है या आज्ञापक है, उनका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः यह तथ्य कि विधि में कर्तव्य निर्धारित करते समय 'होगा' शब्द का उपयोग किया गया है, इस प्रश्न पर निश्चित नहीं है कि क्या यह एक आज्ञापक या निर्देशिका प्रावधान है। विधि के सही स्वरूप का पता लगाने के लिए, न्यायालय को यह पता लगाना होगा कि विचाराधीन विधि के प्रावधान का उद्देश्य क्या है और इसकी सामूहिक और परिकल्पना जिसमें इसे अधिनियमित किया गया है। यदि किसी विधि का उद्देश्य उसका पालन न करने से पराजित होना है, तो उसे आज्ञापक माना जाना चाहिए। लेकिन जब कानून का कोई प्रावधान किसी सार्वजनिक कर्तव्य के निष्पादन से संबंधित है और उस प्रावधान की अवहेलना में किए गए किसी भी कार्य के अमान्य होने से उन लोगों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा होता है जिनके लाभ के लिए इसे अधिनियमित किया गया है और साथ ही जिनका कर्तव्य के निष्पादन पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो ऐसे प्रावधान को निर्देशिका के रूप में माना जाना चाहिए। हालांकि, जहां विधि का एक प्रावधान यह निर्धारित करता है कि एक अधिकार प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति द्वारा एक विशेष तरीके से एक निश्चित कार्य किया जाना है और इसे एक अन्य प्रावधान के साथ जोड़ा जाता है जो दूसरे को प्रतिरक्षा प्रदान करता है जब ऐसा कार्य उस प्रकार नहीं किया जाता है, तो पहले वाले को आज्ञापक माना जाना चाहिए। एक

> प्रक्रियात्मक नियम को आम तौर पर आज्ञापक नहीं माना जाना चाहिए यदि इसके अनुसरण में किए गए कार्य में दोष को बाद के चरण में उचित सुधार की अनुमति देकर ठीक किया जा सकता है, जब तक कि बाद में त्रुटि को सुधारने के लिए ऐसी अनुमति के अनुसार, दूसरे नियम का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। जब भी कोई विधि यह निर्धारित करती है कि कोई विशेष कार्य एक विशेष तरीके से किया जाना है और यह भी निर्धारित करती है कि उक्त आज्ञापकता का पालन करने में विफलता एक विशिष्ट परिणाम की ओर ले जाती है, तो यह मानना कठिन होगा कि आवश्यकता आज्ञापक नहीं है और निर्दिष्ट परिणाम का पालन नहीं किया जाना चाहिए।

25. विधायिका का आशय धारा 173(2)(ii) को पढ़ने मात्र से स्पष्ट है कि थाना प्रभारी अधिकारी के लिए दं.प्र.सं. की धारा 173 के तहत अन्वेषण पूरा करने और अंतिम आख्या दायर करने के तथ्य के बारे में शिकायतकर्ता/इत्तिलाकर्ता को इत्तिला करना आज्ञापक है। दं.प्र.सं. की धारा 173(2)(i) में दं.प्र.सं. की धारा 173 के तहत अंतिम आख्या को संबंधित मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने का प्रावधान है। इसी संदर्भ में, 173(2)(ii) शिकायतकर्ता को आज्ञापक रूप से दी जाने वाली जानकारी से संबंधित है। लेकिन प्रावधान में उल्लेख किया गया है कि इत्तिला इस प्रकार की जाए जिस प्रकार की राज्य सरकार द्वारा निर्धारित 'किया गया हो'।

26. हालांकि, एक महत्वपूर्ण चूक तब उत्पन्न होती है जब थाना के अन्वेषण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को स्पष्ट रूप से जो करना आज्ञापक है, वह संबंधित अधिकारी द्वारा इस तरह इत्तिला करने के विशिष्ट तरीके के बारे

में राज्य सरकार से अधिसूचना की अनुपस्थिति के कारण उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। न्यायालय यह भी नोट करता है कि चूंकि इत्तिला की प्रणाली/शैली को निर्धारित करने के प्रावधान में उपयोग किया गया शब्द है 'हो सकता है', यह आज्ञापक नहीं था, बल्कि राज्य सरकार के लिए निर्देशिका का पालन करना आज्ञापक था। हालांकि, इस तथ्य के बावजूद कि दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1973 में अधिनियमित की गई थी, इस संबंध में आज तक कोई नियम अधिसूचित नहीं किया गया है। यह अन्वेक्षा विधायी आशय के अनुपालन और ऐसी अधिसूचना की अनुपस्थिति में आपराधिक कार्यवाही में शिकायतकर्ता/प्रथम इत्तिलादाता के अधिकारों को समाप्त करने के बारे में चिंता पैदा करता है।

27. शिकायतकर्ता संज्ञान लेने के चरण की अनुपस्थिति में ही न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में भाग लेना चाह सकता है, धारा 173(2)(ii) के अनुसार संसूचना की कमी के कारण अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में कोई संज्ञान नहीं होने पर, शिकायतकर्ता को पहली बार आरोप पत्र दायर करने के बारे में पता चल सकता है, जो उसकी अपनी शिकायत का परिणाम है, केवल समन प्राप्त होने पर साक्ष्य दर्ज करने के समय।

28. हालांकि राज्य सरकार के लिए यह आज्ञापक नहीं है कि वह धारा 173(2) में उपयोग की गई भाषा के अनुसार संसूचना करने के तरीके को

अधिसूचित करे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी प्रक्रिया की अनुपस्थिति में निस्संदेह असुविधाजनक परिणाम होंगे और धारा 173(2)(ii) के तहत प्रावधान का अप्रभावी कार्यान्वयन होगा।

29. इसके अलावा, प्रावधान का आज्ञापक पहलू जो अधिकारी को शिकायतकर्ता को अन्वेषण पूर्ण करने के बारे में जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बनाता है, एक तरह से निरर्थक हो जाएगा यदि दूसरा भाग यानी संसूचना की प्रणाली/शैली को अधिसूचित करना अप्रवर्तनीय रहता है। ऐसी स्थिति पूरे प्रावधान के आशय एवं उद्देश्य को क्षीण कर देगी, जो यह आज्ञापक करता है कि शिकायतकर्ता/इत्तिलादाता को उसकी शिकायत पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में जागरूक किया जाए।

30. आज की तारीख तक, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई नियम नहीं हैं जो धारा 173(2)(ii) के अनुसार शिकायतकर्ताओं/इत्तिलादाताओं को संवाद करने का एक विशेष तरीका प्रदान करते हैं ताकि प्रावधान की एकरूपता, पारदर्शिता, एवं प्रभावी, कार्यान्वयन को वास्तविक आशय के अनुपालन में सुनिश्चित किया जा सके।

31. इस प्रकार, धारा 173(2)(ii) द्वारा आज्ञापक रूप से संसूचना सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रणाली और शैली की आज्ञापकता पर चर्चा

करने के पश्चात, **इस न्यायालय की राय है कि विधानमंडल** के आशय को व्यक्त करने वाले शब्द 'होगा' का उपयोग करने वाले अधिनियम के पहले भाग के बावजूद 'हो सकता है' हमेशा के लिए नहीं रहना **चाहिए,** और इसलिए, निम्नलिखित **निर्देश जारी करना** सबसे उचित और आवश्यक समझता हैः

i. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार धारा 173(2)(ii) के अनुसार एक अधिसूचना जारी करेगी, जिससे धारा 173(2)(ii) के अनुसार संसूचना करने के प्रणाली और शैली को निर्धारित किया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसी अधिसूचना की अनुपस्थिति में ऐसे प्रावधान के उद्देश्य और इरादे को विफल नहीं किया जा सके। ऐसी अधिइत्तिला इस आदेश की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर जारी की जा सकती है।

ii. इस डिजिटल युग में, द.प्र.सं. की धारा 173(2)(ii) द्वारा आज्ञापक सम्प्रेषण **इलेक्ट्रॉनिक साधनों** का उपयोग करके किया जा सकता है। संसूचना का ऐसा प्रत्यक्ष और तत्काल तरीका पारंपरिक तरीकों से जुड़ी देरी को समाप्त कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि पहले इत्तिलादाता/शिकायतकर्ता को समय पर इत्तिला किया जाए। इस से सम्बंधित अधिकारी को संसूचना, पूरा करने में सुविधा होगी, साथ ही यह भी सुनिश्चित करते हुए कि यह समय इत्तिलादाता तक पहुंचे।

32. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इस निर्णय की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने के भीतर अनुपालन आख्या दायर की जाए।

33. तदनुसार, वर्तमान याचिका का निपटान उपरोक्त नियमों एवं निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

34. इस निर्णय की एक प्रति आवश्यक सूचना एवं अनुपालन हेतु (i)

सचिव, विधि विभाग, न्याय एवं विधायी मामले विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा (ii) सचिव, गृह विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को अग्रेषित की जाए।

35. बिना किसी विलम्ब के वेबसाइट पर निर्णय अपलोड किया जाए।

स्वर्ण कांता शर्मा, न्या.

4 सितंबर ,2023/जेडपी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*